[श्रीमती रेनु कुमारी]

कि हमारी आने वाली संतान जो फसल के रूप में उगेगी वह न हिन्दू बनेगी, न मुसलमान बनेगी, इंसान की औलाद है इंसान बनेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सबसे पहले मैं लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री बालायोगी जी की पवित्र स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मुझे इस दुखदायी अवसर पर उनके जन्म स्थान पर जाने का मौका मिला। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि संसद का कुशलता से संचालन करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए भी समय निकाला और बहुत अच्छा काम किया। वे हमारे लिए एक उदाहरण हैं। उन जवानों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर संसद को बचाया, संसद सदस्यों को बचाया।

13 दिसंबर के हमले को 90 दिन हो गए। कभी–कभी मुझे लगता है कि कहीं हम उस हमले को भूल तो नहीं रहे हैं। संसद भवन पर आघात संपूर्ण देश के लिए चुनौती था, हमारी संप्रभुता के लिए एक आह्वान था। सारे संसार में उसकी निन्दा हुई, लेकिन जो अपराधी हैं, वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। हमारे प्रयत्न जारी हैं। विश्व में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठ रही है। उस आवाज को हम बल प्रदान कर रहे हैं। उन प्रयत्नों को और भी तेजी से चलाना होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ 25 फरवरी को और 27 फरवरी को गुजरात की त्रासदी हो गई। बाद में अयोध्या का विवाद उठ खड़ा हुआ। देश में रोष और चिन्ता की लहर दौड़ गई। क्या भारत अपने रास्ते से भटक जाएगा? क्या हम अपने बलिदानों से अर्जित स्वतंत्रता की अखंडता की रक्षा नहीं कर पाएंगे? लेकिन यह संतोष का विषय है कि देश संकटों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन पर विजय पा रहा है। यह देश की आंतरिक शक्ति है। इसका श्रेय कोई एक दल न ले और न एक दल की आलोचना से जो परिवर्तन आया है, उसका महत्त्व कम हो सकता है।

आज गुजरात में सबसे बड़ी आवश्यकता है पुनर्वास की। हजारों लोग कैम्पों में हैं। संसद सदस्यों का जो दल गुजरात गया था, उसने वहां की स्थिति देखी है। लोग घर जा नहीं सकते क्योंकि घर टूट गए हैं या लूट लिए गए हैं। शिविरों में पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं। मैंने गुजरात की सरकार को सुझाव दिया है कि वह राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन करे और जो लोग कैम्पों में रह रहे हैं, उनके लिए तत्काल समुचित प्रबंध करे। अब स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है मगर पर्याप्त नहीं है। जो भी कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी हमने अपना योगदान देने का निश्चय किया है। गुजरात को भूकंप की विपत्ति सहनी पड़ी थी। जैसे उस समय सारी मानवता भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दौड़ पड़ी थी, उसी तरह से सारे भारत को गुजरात की त्रासदी को ठीक करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए।

इस संबंध में हम इस विवाद में न जाएं कि कैसे हुआ। जो गोधरा में हुआ, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसका औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। एक अपराधी, दूसरे अपराधी को दूध का धुला साबित नहीं कर सकता। प्रतिहिंसा का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात के संबंध में हम लगातार निगरानी रखें और केन्द्र तथा प्रदेश, दोनों सरकारें राहत और पुनर्वास की दिशा में प्रयत्नशील हों।

मेरा एक निवेदन है कि गुजरात का वर्णन करते समय थोड़ा शब्दों के चयन में सावधानी बरती जाए। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आदत पड़ गई है जिनका अर्थ वे तो जरूर समझते होंगे, मगर बाकी नहीं समझते। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यह भावनाओं के प्रकटीकरण का स्थान है। यह शब्दों के विद्वतापूर्ण प्रदर्शन की जगह नहीं है।

मैं प्रतिपक्ष की नेता से भी कहूंगा कि गुजरात के बारे में "जैनोसाइड" शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। जैनोसाइड की व्यापकता अलग है। एक जाति या राष्ट्र का नाश किया जाता है, तब इस शब्द का प्रयोग होता है। गुजरात में हिन्दू मरे, मुसलमान भी मरे। पुलिस की गोली से दोनों तरफ के लोग मरे। मैं शब्द की बात कह रहा हूं। उसके भाव को जानने की कोशिश कीजिए। इस शब्द का अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयोग हो सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हमने आपके नेता की बात तन्मयता

से सुनी। अब आप जो कर रहे हैं यह उचित नहीं है। मैंने उस दिन विशेष ध्यान रखा। हमें भी कई बातों पर आपत्ति थी, जो उन्होंने कहा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे इस सदन के नेता भी हैं। यह सही तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अब स्थिति सुधरी है और देश अपने अन्तर्बल के ऊपर संकटों की घाटी पार करके आगे बढ़ रहा है। अयोध्या का मामला हल हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : शिला–दान अब हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इस पर आपत्ति है?

उपाध्यक्ष महोदय, पुराने अनुभवों से लाभ लेकर, हमने नीतियां निर्धारित कीं। जहां कठोरता की आवश्यकता थी वहां कठोरता दिखाई और जहां जनभावनाओं का सम्मान करने की जरूरत थी, वहां जनभावनाओं का सम्मान किया।

हमने अपने दल के पार्लियामैंट के मैम्बरों को अयोध्या जाने से रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं जानता हूं कि मेरे दल के सदस्य सुखी नहीं हैं लेकिन कर्त्तव्य है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : श्री विनय कटियार चले गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विनय कटियार ने तो वहां जाकर रचनात्मक भूमिका अदा की है। मुझे भी बहुत गालियां खानी पड़ीं। संसद भवन में पर्चे बंटे...*(व्यवधान)* हिटलरशाही नहीं चलेगी। कौन हिटलरशाही चला रहा है और कौन हिटलरशाही चला सकता है? मगर संविधान का हमने पालन कराया और पालन किया। इसके साथ शिला पूजन भी हो गया। जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कुछ भेंट चढ़ाते हैं। कोई सोना–चांदी चढ़ाता है तो कोई फल–फूल चढ़ाता है। अब अगर किसी ने शिलालेख शिला को चढ़ा दिया तो फिर उसको लेना जरूरी था। वह कहां रखा जाएगा, इसका प्रबंध करना जरूरी था।...*(व्यवधान)* श्री परमहंस जी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने मुझसे बात करने से इंकार कर दिया लेकिन फिर उनकी नाराजगी कम हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, कई साल तुम्हारी सरकार चलेगी। ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता की आशीर्वादों का कितना असर होता है लेकिन जब मैंने सोनिया जी को शंकराचार्य जी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा तो मुझे लगा कि इस आशीर्वाद में अवश्य ही कोई गुण है, इससे मुझे वंचित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के विवाद को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण ह कि वे पिछले चुनाव में विजयी हुईं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या के विवाद को हल करना होगा। अदालत में तेजी से मुकदमा चले, सुनवाई हो, इसका प्रबन्ध करना होगा। अदालत के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर यह समस्या कैसे हल की जाए क्योंकि यह देश में साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने में बाधक हो रही है। चुनाव में मुद्दा बन जाता है। अब चुनाव में उससे न लाभ होता है, न हानि होती है। लोग समझ रहे हैं लेकिन कोई फोड़ा पकता रहे, यह ठीक नहीं है। नासूर नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, हम उनकी सफलता चाहते हैं। उसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ विवाद एटार्नी जनरल की भूमिका को लेकर हुआ है। उसकी शाम को चर्चा होगी इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। चर्चा अन्य विषयों तक फैली थी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विशद् रूप से देश की परिस्थिति और सरकार की नीतियों का विवेचन था। कई पहलू ऐसे हैं जिन पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। विरोधी दल की नेत्री ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का उल्लेख किया है और कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अभी तनाव बाकी है। सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों का तांता बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। बर्फ पिघलने पर क्या स्थिति होती है, यह देखना पड़ेगा। अगर आतंकवादियों का प्रवेश नियंत्रण रेखा पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी पूरी तरह से बंद होगा तो ऐसा वातावरण बन सकता है जिसमें सार्थक बातचीत के लिए रास्ता खुल जाए।

श्रीमती गांधी ने पूछा था कि बीस लोग, जिनकी पाकिस्तान

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

से वापसी मांगी जा रही थी, उसमें कोई प्रगति हुई है या नहीं हुई है। हमारे प्रयास जारी हैं मगर उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वह भी एक कसौटी है कि सचमुच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का इरादा है या नहीं है। हम दुनिया वालों से भी कहते हैं कि आप बार–बार हमसे यह आग्रह करते हैं, दबाव डालते हैं कि हम बातचीत शुरू करें। बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पहले से बातचीत करते रहे हैं, उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन बातचीत के बाद क्या है। क्या जो कुछ आपत्तिजनक कार्य होते थे, वे फिर होते रहेंगे? इस सवाल पर अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन हमें मिलता है और जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां रुकनी चाहिए।

हम सार्क के सदस्य के नाते पाकिस्तान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अभी सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में श्रीमती सुषमा स्वराज जी गई थीं। अपनी पाकिस्तान की यात्रा में उन्होंने भारत के पक्ष को बहुत सफलता के साथ रखा है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दादा, आप अच्छा काम कभी–कभी करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमेशा अच्छा काम करें, कभी–कभी में मुश्किल होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पाकिस्तान के शासक का काम करने का एक ढंग है। पहले हमने काठमांडू में देखा और अभी इस्लामाबाद में देखा। वे ऐन वक्त पर कोई सरप्राइज घोषणा कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है कि हम हवाई उड़ानें जारी करने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए। सुषमा जी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की मंत्री हूं। हमारे यहां अभी मिलिट्री शासन नहीं है और मुझे औरों से सलाह करनी पड़ेगी, उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर मैं चलती हूं। अगर कोई ठोस प्रस्ताव हो तो उसे दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। प्रचार की लड़ाई में वे बाजी मारना चाहते हैं। अब हम भी होशियार हो गए हैं।

अभी गरीबी के सवाल पर सार्क देशों के मंत्रियों की बैठक होगी। यह सिलसिला चलता रहेगा और हम आशा करते हैं कि आगे जाकर पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो अवरोध आ गया है, उस को दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं इस संबंध में श्रीलंका का भी उल्लेख करना चाहता हूं। श्रीलंका में एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन का स्वागत किया गया है। हमने आशा व्यक्त की है कि इससे वहां स्थायी शान्ति का पथ प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीलंका के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी है, सांस्कृतिक संबंध हैं, धर्म की कड़ियां भी जुड़ी हैं। वक्त पर हमने श्रीलंका की सहायता की है, अपने जवानों को खतरे में डालकर भी श्रीलंका की अखंडता सुरक्षित रहे, इसका प्रयास हुआ था। हम चाहते हैं कि श्रीलंका में समस्या सुलझे और कोई रास्ता निकले, जिससे अखंडता की रक्षा करते हुए और सब भाषा–भाषियों के लिए समान अवसर देने के साथ श्रीलंका प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ आर्थिक प्रश्न भी उठाए गए हैं, जो स्वाभाविक है। वैसे तो बजट आ रहा है और उस अवसर पर सदन को आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सोमनाथ जी ने एक प्रश्न उठाया और हमेशा की तरह बड़े जोरदार ढंग से उठाया। श्रीमती गांधी के भाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो अगर फायदे में चल रहे हैं तो उन्हें क्यों बन्द किया जा रहा है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जो फायदे में चल रहे हैं, उन्हें हम केवल इसलिए बन्द नहीं कर रहे कि वित्त मंत्री को अपना घाटा पूरा करने के लिए धन चाहिए, यह धारणा गलत है। इसके पीछे सोचने का एक तरीका है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट सब घाटे के कारखानों का ही हो तो कौन खरीदेगा?

श्री सोमनाथ चटर्जी : माडर्नाइजेशन कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माडर्नाइजेशन के लिए धन चाहिए और धन इकट्ठा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसकी खबर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जानते हैं कि आयरन एंड स्टील कम्पनी को फिर से रिवाइव करने के लिए मैंने मास्को तक में बात की और प्रयास किया। हम नहीं चाहते

कि कोई कारखाना बन्द हो। हम नहीं चाहते कि मजदूर किसी मुसीबत का शिकार बनें, लेकिन अर्थव्यवस्था भी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे कर दीजिए।,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो कई बार मजदूरों की सोचते हैं और हम सारे समाज की सोचते हैं, लेकिन हम मजदूरों को भी समझाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कुछ दिखलाइए तो। यह तो कर दीजिए, हां बोल दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आज आप घोषणा कर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सवाल पर सचमुच में एक आम राय होनी चाहिए। आर्थिक सुधार हमने प्रारम्भ नहीं किए थे, हमें उत्तराधिकार में मिले हैं। आज तो राम नाईक जी ने गैस के बारे में कोई घोषणा की है, जहां तक मुझे बताया गया है, लेकिन आपने उसका स्वागत नहीं किया।... *(व्यवधान)* आप तो बहुत चाहते है कि सरकार न चले, चलेगी कैसे? आप पश्चिम बंगाल में उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनका हम यहां कर रहे हैं और उनका सामना करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी ज्यादा पावर है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम कोई अलोकप्रियता अर्जित करके आर्थिक सुधारों के पीछे थोड़े ही पड़े हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अलोकप्रिय है, वह कल लोकप्रिय होगा। आज जिसके लिए कठिनाई अनुभव की जा रही है, वह कठिनाई आगे जाकर लोगों की समझ में आ जाएगी कि वास्तव में वह कोई कठिनाई नहीं थी। इस कठिनाई के कारण कारवां रुकना नहीं चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह रुपया मिल जाएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, अगर सब दलों की सहमति हो, हम विधेयक लाने के लिए फिर से तैयार हैं। हम तो लाए थे, लेकिन उस समय एक सुझाव आया कि आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, घटा दीजिए, 33 प्रतिशत नहीं, थोड़ा कम करिए, उस पर एक राय बन सकती है। उसको सोनिया जी के सामने रखने में देर हुई थी। मैं उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर रहा हूं और महिलाओं के लिए आरक्षण वाले विधेयक को फिर से सदन के सामने पेश करूंगा, प्रचार के लिए नहीं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि कुछ लोगों ने कोई अलग प्रतिशत सुझाया है तो उन्हें संशोधन लाने दीजिए। सदन उस पर निर्णय लेगा। आप इस पर सदन से बाहर निर्णय नहीं ले सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसे सदन के समक्ष लाएं और फिर हम सब मिलकर तय करेंगे कि कौन सा संशोधन, कौन सा प्रतिशत पारित होता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपकी सलाह को 100 फीसदी मानता हूं। जरा बाईं तरफ भी आप नजर डाल लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने पीछे वालों को कहें।

श्री प्रमोद महाजन : ये पीछे वालों को बोलेंगे तो वे सुनेंगे, लेकिन आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, वे नहीं सुनेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : आप पिछड़ों और दलित वर्ग की महिलाओं को इसमें आरक्षण दे दें, हम समर्थन कर देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम पाखंड की बात कर रहे हैं। हमारी मंशा नहीं है, हमारा इरादा नहीं है। लेकिन महिलाओं को आरक्षण से लाभ हुआ है। पंचायतों में, स्थानीय संस्थाओं में वह लाभ हमें दिखाई दे रहा है। संसद और विधान मंडलों के लिए तो महिलाओं का नेतृत्व पहले से तैयार है। स्वतंत्रता के संग्राम में जो उनमें जागृति पैदा हुई थी, उसके कारण उन्होंने योग्यता अर्जित की है। हम चाहते है कि इस विधेयक को लाएं और आप सबके सहयोग से यह विधेयक पारित हो।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मैं विजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। आप सब उसका साथ दें, सहयोग करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कई संशोधन प्रस्तुत किए गए। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं या क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को मतदान के लिए अलग से रखना चाहते हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : मैं अपने संशोधन सं. 1054 को अलग से मतदान के लिए रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा पेश संशोधन को छोड़कर बाकी सभी संशोधन मतदान के लिए एक साथ रखूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैंने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया था :

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कावेरी डेल्टा, जहां फरवरी, 2002 के पहले सप्ताह में हुई भारी बेमौसम वर्षा से कटी हुई और तैयार फसलें बुरी तरह नष्ट हुई हैं, के किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।"

महोदय, कावेरी डेल्टा में किसानों को ग्रीष्म कुस्बाई मौसम के दौरान जो नुकसान हुआ वह कावेरी अधिकरण पंचाट का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण था। बेमौसम की भारी बरसात के कारण शीतकालीन सांबा फसल को गंभीर क्षति पहुंचाई। कटी हुई फसल और सांबा फसल जो कटाई के लिए पक कर तैयार थी वह नष्ट हो गई। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ किसानों को 2500 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से बहुत थोड़ी धनराशि मुआवजे के रूप में दी जबकि उनका नुकसान इसका दस गुना हुआ था, केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया ...*(व्यवधान)* मैं इसे अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल दो वाक्य कहूंगा। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं किया है। जब उन्होंने इसे पंजाब के लिए दिया, तो वे इसे तमिलनाडु के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? केन्द्रीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ इतने व्यस्त हैं कि वे तमिलनाडु नहीं जा सके हैं। इसलिए मैं उनसे स्थिति को स्वयं देखने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 1054 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1054 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप कृषि संबंधी स्थाई समिति के सभापति हैं...*(व्यवधान)* यह किसान विरोधी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रखे गए सभी अन्य संशोधनों को, सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2002 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.08 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद नियम 193 के अधीन चर्चा है। माननीय सदस्यो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के